बिहार विधान परिषद्, सचिवालय

अल्पकालीन निविदा

दैनन्दिनी एवं दूरभाष निर्देशिका 2019

बिहार विधान परिषद् दैनन्दिनी एवं दूरभाष निर्देशिका, 2019 को मुद्रित कर आपूर्ति हेतु इच्छुक फर्मो / प्रतिष्ठानों से न्यूनतम दर सहित सीलबंद लिफाफे में निविदायें दिनांक-05/11/2018 को 03.00 बजे अपराह्न तक सचिव, बिहार विधान परिषद् के पदनाम से यथा निर्धारित शर्तो के अधीन आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित आवश्यक शर्ते, दैनन्दिनी एवं दूरभाष निर्देशिका की संख्या तथा पृष्ठों की संख्या का विवरण बिहार विधान परिषद् के वेबसाईट- http://biharvidhanparishad.gov.in पर देखी जा सकती है, साथ ही बिहार विधान परिषद् दैनन्दिनी एवं दूरभाष निर्देशिका 2019 के नमूने एवं अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को प्रकाशन शाखा से प्राप्त की जा सकती है।

ह०/- 26/10/18

(राजीव रंजन सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद्, सचिवालय

निविदा की दिशा निर्देश

दैनन्दिनी एवं दूरभाष निर्देशिका 2019

1. निविदा के कभर पर संस्थान का नाम एवं दूरभाष संख्या अंकित होना अनिवार्य है एवं उसके साथ प्रेस डेकलेरेशन संलग्न रहना चाहिए।
2. निविदा के साथ न्यून्तम 03 वर्ष का कार्यानुभव (दैनन्दिनी एवं दूरभाष निर्देशिका मुद्रण) फर्म का निबंधन प्रमाण पत्र, अद्यतन आयकर चुकता प्रमाण पत्र एवं वस्तु एवं सेवा कर निबंधन प्रमाण पत्र संलग्न रहना चाहिए।
3. वर्ष 2019 एवं 2020 की दिनपत्री के साथ बिहार विधान परिषद् दैनन्दिनी-2019 के प्रारंभ एवं बीच में कुल 16 रंगीन पृष्ठ एवं लगभग-136 पृष्ठों में विविध सूचनाऐं मुद्रित होगी। निविदा के साथ नमूना रहना आवश्यक है। ** दिनपत्री मुद्रक द्वारा स्वयं तैयार करना होगा।*
4. मुद्रण आइ.टी.सी. मैपलिथो पेपर (नैचुरल शेड) 75 जी.एस.एम. पर होगा, कभर पेपर पर (रेक्सीन पर बिहार विधान परिषद् एवं बौद्ध वृक्ष)
5. निविदा के साथ संलग्न सभी कागजात स्वअभिप्रमाणित एवं सांख्यकिंत होना चाहिए।
6. जिस निविदादाता का चयन मुद्रण के लिए किया जायेगा उन्हें उक्त कार्य के लिए जमानत की राशि के रूप में दैनन्दिनी एवं दूरभाष निर्देशिका 2019 के मुद्रण के लिए 45,000/- (30,000+15000) रूपये (पैतालीस हजार) रू0 मात्र जमा करना होगा। जमा की गई राशि मुद्रण के पश्चात वापस कर दी जायेगी। परन्तु मुद्रण में अशुद्धि/त्रुटि/अस्पष्टता/कमजोर बाइडिंग/ससमय आपूर्ति में विफलता की स्थिति में जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी।
7. दैनन्दिनी एवं दूरभाष निर्देशिका 2019 का मद्रण कर निश्चित रूप से नवम्बर के अंतिम सप्ताह में आपूर्ति करनी होगी।
8. निविदादाता को निविदा के साथ स्वअभिप्रमाणित पत्र संलग्न करना होगा जिसमें यह अंकित हो कि उनके फर्म को सरकार अथवा किसी अन्य प्रतिष्ठित संस्थान के द्वारा काली सूची में नही रखा गया है तथा इससे संबंधित कोई मुकदमा दर्ज नहीं है।
9. सभी प्राक्कलन (तकनीकि एवं वित्तीय) सचिव महोदय के कार्यालय कक्ष में दिनांक- 05.11.2018 को 3.00 (तीन) बजे अपराह्न खोली जायेगी। जिसमें संस्थान के प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।
10. किसी अथवा सभी प्राक्कलन को बिना कारण बतायें रद्द या अस्वीकृत करने का अधिकार सचिव (संयोजक, केन्द्रीय क्रय समिति) बिहार विधान परिषद् को होगा।

26/10/18

(राजीव रंजन सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्